तत्काल

सं. एस-11011/02/2015-एसबीएम
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक 30.11.2015

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी
(उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड)

विषय : स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु गंगा नदी के आस-पास के क्षेत्रों के प्रस्ताव भेजने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल ने अपनी दूसरी बैठक में यह सिफारिश की है कि माता अमृतानंदमयी मठ के योगदान से प्राप्त 50 करोड़ रुपयों द्वारा गंगा नदी के आस पास के पहचाने गए क्षेत्रों के प्रस्तावों का वित्तपोषण किया जाए।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि संयुक्त सचिव, एमडीडब्ल्यूएस द्वारा पहले ही दिनांक 18.06.2015 के पत्र के माध्यम से स्वच्छ भारत कोष दिशानिर्देशों के अनुसार गंगा नदी के तट पर स्थित ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित समय-सीमा के साथ-साथ अपना विस्तृत प्रस्ताव भेजें। प्रस्ताव के साथ-साथ स्वच्छ भारत कोष हेतु अलग खाते की विस्तृत सूचना और कार्यान्वयन एजेंसी, नोडल अधिकारी आदि भी चिन्हित करें।

भवदीय,

ख्रिस्टीना कुजूर

(ख्रिस्टीना कुजूर)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि -

1. राज्य एसबीएम (जी) सभी पांच राज्यों के समन्वयक।
2. तकनीकी निदेशक (एनआईसी) एमडीडबल्यूएस की वैबसाइट पर डालने हेतु।